



विज्ञप्ति


31

कृपया विश्वविद्यालय के पत्रांक : मुख्य परीक्षा-2025/9286, दिनांक 10.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अन्तर्गत संचालित समस्त संस्थागत एवं व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षा (सत्र 2024-25) एवं बैंक पेपर परीक्षा (सत्र 2023-24) की परीक्षाओं हेतु परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ccsuniversity.ac.in पर केवल ऑनलाईन माध्यम से भरवाये जा रहे हैं।

उपर्युक्त सन्दर्भित परीक्षा फार्म भरने की तिथि में निम्नवत विस्तार किया जा रहा है :-

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 01. | छात्र/छात्राओं द्वारा परीक्षा फार्म वेबसाईट पर ऑन-लाईन भरने एवं ऑन-लाईन परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि | 15.02.2025 तक |
| 02. | सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में छात्र/छात्राओं द्वारा समस्त आवश्यक पत्राजातों सहित भरे गये परीक्षा फार्म का ऑन लाईन सत्यापन कराये जाने की अन्तिम तिथि | 18.02.2025 तक |
| 04. | सम्बन्धित महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा एन0आर0 सहित परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि | 20.02.2025 तक |

उपर्युक्त पत्र के शेष निर्देश यथावत् रहेंगे।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि परीक्षा फार्म अग्रसारण से पूर्व अर्हता की भली-भांति जांच कर ली जाये कि जिस पाठ्यक्रम के लिए छात्र आवेदन कर रहा है, उसके लिए वह अर्ह है अथवा नहीं अन्यथा की स्थिति में परीक्षा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं महाविद्यालय/संस्थान का होगा।
02. सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक, प्रति कुलपति को, प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. वैयक्तिक सहायक-निदेशक (अकादमिक) को, निदेशक (अकादमिक) जी के सूचनार्थ प्रेषित।
05. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
06. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
07. वैयक्तिक सहायक-परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ प्रेषित।
08. वैयक्तिक सहायक-वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
09. लेखाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. उप कुलसचिव/प्रभारी-अति गोपनीय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. उप कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय/लेखा/सामान्य/कमैटी सैल) को सूचनार्थ प्रेषित।
12. समस्त अनुभाग प्रभारी (पूछताछ केन्द्र/सूचना पट)।
13. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।
14. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेन्सी, को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त समस्त पाठ्यक्रमों के पंजीकरण/परीक्षा फार्मों को विश्वविद्यालय नियमानुसार ही भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


उप कुलसचिव (परीक्षा)